

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 340 / 2011

संस्थापित दिनांक 31 / 05 / 2011

फाइलिंग नं. 230303003832011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. दयानंद शर्मा पुत्र शिवदयाल शर्मा उम्र 35 वर्ष
 2. परमानंद शर्मा पुत्र शिवदयाल शर्मा उम्र 33 वर्ष
 3. धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र शिवदयाल शर्मा उम्र 30 वर्ष
 4. बुद्धे उर्फ देवेन्द्र पुत्र शिवदयाल शर्मा उम्र 28 वर्ष
- निवासीगण- ग्राम कतरौल थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0 ।

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा- 504, 324 एवं 324 / 34 भा.द.सं)
(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्री प्रवीण सिकरवार)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता-श्री केशवसिंह गुर्जर)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 11.05.2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 20.04.2011 को शाम साढ़े सात बजे फरियादी रामप्रकाश के घर के सामने ग्राम कतरौल में फरियादी रामप्रकाश को अपमानित करने के आशय से गाली-गलौच कर प्रकोपित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त की आक्रामक धारदार आयुध फर्सा एवं कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु आरोपी धर्मेन्द्र पर भा.द.सं. की धारा 504 एवं 324 / 34 (दो शीर्ष) तथा आरोपी दयानंद, परमानंद एवं बुद्धे उर्फ देवेन्द्र पर भा.द.सं. की धारा 504, 324 एवं 324 / 34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.04.2011 को शाम करीबन

साढ़े सात बजे आरोपी दयानंद एवं परमानंद फरियादी रामप्रकाश के पास आए थे और उससे पटीवाले खेत की सरसों स्वयं काटने के लिये कहा था इसी बात पर मुंहवाद हो रहा था। तभी आरोपी धर्मेन्द्र एवं बुद्धे आ गए थे। दयानंद ने फरियादी रामप्रकाश के सिर में फर्सा लाठी मारी थी, जिससे उसके सिर से खून निकल आया था। परमानंद ने रामप्रकाश के सिर और कंधे में लाठियां मारी थी। मौके पर उसका लड़का रामदत्त उसे बचाने आया था तो धर्मेन्द्र ने एक लाठी रामदत्त के दाहिने पैर के घुटने में मारी थी एवं बुद्धे ने रामदत्त के सिर में कुल्हाड़ी मारी थी, जिससे रामदत्त के सिर से खून निकल आया था। मौके पर नाथू, मुकट विहारी एवं बकील ने बीच-बचाव कराया था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मौ में अदम चैक क. 33/11 लेखबद्ध की गयी थी एवं फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त की चिकित्सीय रिपोर्ट में फरियादी एवं आहत को आयी चोटें धारदार आयुध से आना लेख होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क.74/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा है।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 20.04.2011 को शाम साढ़े सात बजे फरियादी रामप्रकाश के घर के सामने ग्राम कतरौल में फरियादी रामप्रकाश को अपमानित करने के आशय से गाली-गलौच कर प्रकोपित किया?

1. क्या घटना दिनांक को फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त के शरीर पर उपहतियां थीं? यदि हां तो उनकी प्रकृति?

2. क्या उक्त उपहतियां फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया कारित की गयीं?

5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से आहत रामदत्त शर्मा अ.सा.1, फरियादी रामप्रकाश अ.सा. 2, नाथूराम अ.सा. 3, बकील शर्मा अ.सा. 4, ए0एस0आई0 शेषदेव भगत अ.सा. 5, मुकट विहारी अ0सा0 6, डॉ0 उपेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा0 7 एवं ए 0एस0आई0 जहार सिंह अ0सा0 8 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से आरोपी परमानंद वा0सा01 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रामप्रकाश अ0सा0 2 एवं रामदत्त

अ0सा0 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं दिया गया है। आहत रामदत्त अ0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि घटना के समय जब वह घर के बाहर आया था तब मुंहवाद हो रहा था, फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उसे गाली दी थी।

7. इस प्रकार फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 ने आरोपीगण द्वारा गालियां देना एवं आहत रामदत्त अ0सा01 ने मुंहवाद होना बताया है परंतु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपीगण वास्तविक रूप से कौन से शब्द उच्चारित कर रहे थे, जिन्हें सुनकर वह प्रकोपित हुए थे। शेष साक्षी नाथूसिंह अ0सा0 3 बकील शर्मा अ0सा0 4 एवं मुकट विहारी अ0सा0 6 द्वारा भी उक्त बिंदु पर कोई कथन नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 ने सभी आरोपीगण द्वारा गालियां दिया जाना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से शब्द अभिव्यक्त किए थे। उक्त साक्षीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि आरोपीगण ने फरियादी को अपमानित करने के आशय से घटना के समय गाली गलौच की थी। ऐसी स्थिति में भा0दं0सं0 की धारा 504 के संघटक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः आरोपीगण को भा0दं0सं0 की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्र. -2

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ0 उपेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा0 7 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 20.04.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौ में थाना मौ के आरक्षक आशाराम द्वारा लाए जाने पर आहत रामप्रकाश का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने रामप्रकाश के शरीर पर तीन चोटें पाई थीं, जिनमें से चोट क्रमांक 01 सिर पर कटा हुआ घाव, चोट क्रमांक 2 सिर के दाहिने हिस्से पर कटा हुआ घाव, चोट क्रमांक 3 बाएं कंधे पर नीलगू निशान स्थित था। उसके मतानुसार चोट क्रमांक 1 एवं 2 सख्त एवं पेने हथियार से पहुंचाई गई थीं एवं चोट क्रमांक 3 सख्त एवं भौथरे हथियार से पहुंचाई गई थीं। उक्त सभी चोटें उसके परीक्षण अवधि के पूर्व 24 घण्टे के अंदर की थीं एवं सामान्य प्रकृति की थीं। आहत रामप्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट प्र0पी0 5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उक्त दिनांक को ही आहत रामदत्त शर्मा का भी चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने रामदत्त के शरीर पर 5 चोटें पाई थीं। जिनमें से चोट क्रमांक 1 सिर के पिछले हिस्से पर कटा हुआ घाव, चोट क्रमांक 2 बाएं पैर के निचले हिस्से पर छिला हुआ घाव, चोट क्रमांक 3 सीने के मध्य भाग पर कटा हुआ घाव, चोट क्रमांक 4 बाएं अंगूठे में कटा हुआ घाव एवं चोट क्रमांक 5 बायीं भुजा के निचले हिस्से में कटा हुआ घाव स्थित था। उसके मतानुसार चोट क्रमांक 1 एवं 5 सख्त एवं पेने हथियार द्वारा पहुंचाई गई थीं जबकि चोट क्रमांक 2, 3, 4 सख्त एवं भौथरे हथियार से पहुंचाई गई थीं उक्त सभी चोटें उसके परीक्षण अवधि के पूर्व 24 घण्टे के अंदर की थीं। चोट क्रमांक 1 की प्रकृति जानने के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी शेष सभी चोटें सामान्य प्रकृति की थीं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने आहत रामदत्त

का एक्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान रामदत्त के कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया था। उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी० 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. फरियादी रामप्रकाश अ०सा० 2 ने भी अपने कथन में मारपीट के दौरान उसके सिर एवं बाएं कंधे में चोट आना बताया है एवं आहत रामदत्त के सिर पर चोट आना बताया है। आहत रामदत्त अ०सा० 1 ने भी अपने कथन में झगड़े के दौरान उसके पिता रामप्रकाश के सिर एवं कंधे पर चोट आना बताया है एवं स्वयं के दाहिने पैर के घुटने, सिर पर चोट आना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण का कथन घटना दिनांक को उनके शरीर पर चोटें होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है। प्र०पी० 2 की अदम चैक एवं प्र०पी० 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त के शरीर पर चोट होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी रामप्रकाश अ०सा० 2 के कथन प्र०पी० 2 की अदम चैक एवं प्र०पी० 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहे हैं। इस बिंदु पर फरियादी रामप्रकाश अ०सा० 2 एवं आहत रामदत्त अ०सा० 1 के कथन का समर्थन डॉ० उपेन्द्र कुशवाह अ०सा० 7 द्वारा भी किया गया है। उक्त साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथन घटना दिनांक को फरियादी रामप्रकाश अ०सा० 2 एवं आहत रामदत्त अ०सा० 1 के शरीर पर उपहति होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है।

10. डॉ० उपेन्द्र सिंह कुशवाह अ०सा० 7 द्वारा प्र०पी० 5 एवं प्र०पी० 6 की चिकित्सीय रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी है, उसकी फरियादीगण से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त के शरीर पर उपहति होने के बिन्दु पर अखंडनीय भी रहा है एवं अखंडनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

11. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त के शरीर पर उपहतियां थीं, जिनकी प्रकृति साधारण थी।

विचारणीय प्रश्न क. -3

12. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि उक्त उपहतियां फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त को आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया कारित की गई?

13. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी रामप्रकाश अ०सा० 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 4 वर्ष पहले की शाम के 7 बजे की है। आरोपी दयानंद ने उसके सिर में फर्सा मारा था। आरोपी परमानंद ने उसके सिर में लाठी मारी थी तथा एक लाठी उसके बाएं कंधे पर मारी थी। झगड़ा पटीवाले खेत की सरसों की फसल के उपर हुआ था। दयानंद एवं परमानंद कह रहे थे कि सरसों वह काटेगा। इसके पश्चात् रामदत्त को धर्मेन्द्र ने लाठी मारी थी एवं बुद्धे ने रामदत्त को कुल्हाड़ी मारी थी जो

उसके सिर में लगी थी। उसके बाद वह रिपोर्ट करने थाने गया, जहां उसने रिपोर्ट लिखाई थी। उक्त रिपोर्ट प्र0पी0 2 है, जिस पर उसने अंगूठा लगाया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसे रिपोर्ट पढ़कर सुनाई थी, इसके बाद उसने अंगूठा लगाया था।

14. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना के समय वह अपने घर के दरवाजे के सामने गली में बैठा था। आरोपीगण ने उसे गालियां दी थीं तथा फर्सा मारा था। फर्सा लगने के तुरंत बाद उसे लाठी लगी थी। जिस समय परमानंद एवं दयानंद ने लाठी मारी थी तब धर्मेन्द्र एवं बुद्धे भी दरवाजे पर आ गए थे। रामदत्त, धर्मेन्द्र एवं बुद्धे के आने से पहले आ गया था। जिस समय दयानंद व परमानंद ने उसे लाठी मारी थी उस समय रामदत्त आ नहीं पाया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह घटना स्थल पर ही खड़ा था उसने बुद्धे के हाथ में कुल्हाड़ी देखी थी एवं कुल्हाड़ी से प्रहार करते हुए देखा था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी बुद्धे मजदूरी करने गांव में गया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी परमानंद रामेश्वर जाटव के साथ खाना खाने गया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि परमानंद घटना के समय गेंहू काटने गया था।

15. आहत रामदत्त अ0सा0 1 ने भी फरियादी रामप्रकाश अ0सा0 2 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा उसकी एवं रामप्रकाश की मारपीट किये जाने बावत प्रकटीकरण किया है।

16. साक्षी नाथूराम अ0सा0 3, बकील शर्मा अ0सा0 4 एवं मुकट विहारी अ0सा0 6 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त तीनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त तीनों ही साक्षियों ने अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उनके सामने फरियादी रामप्रकाश एवं रामदत्त की मारपीट की थी।

17. ए0एस0आई0 शेषदेव भगत अ0सा0 5 ने प्र0पी0 2 की अदम चैक एवं प्र0पी0 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं ए0एस0आई0 जहार सिंह अ0सा0 8 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

18. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। स्वतंत्र साक्षियों द्वारा भी अभियोजन घटना को कोई समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

19. बचाव के दौरान आरोपी परमानंद ब0सा0 1 द्वारा स्वयं को परीक्षित कराया गया है। परमानंद वा.सा. 1 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि सत्य नारायण से उसकी खेती की रंजिश थी। उनके बीच मुकदमा चला था, जिसकी निगरानी प्र0डी0 1 सत्य नारायण ने आयुक्त चंबल संभाग को की थी। जो निरस्त हो गई थी जिससे बौखलाकर आरोपीगण ने मेरे विरुद्ध रिपोर्ट की है। जब रिपोर्ट की थी तब मैं मडरौली गांव में रामेश्वर जाटव के साथ न्यौता खाने गया

था, मेरा भाई दयानंद राकेश के खेत में गेंहू कटवा रहा था। उसका छोटा भाई बुद्धे उर्फ देवेन्द्र मजदूरी तलाशने के लिए गांव गया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह रामेश्वर जाटव के साथ किस दिनांक को न्यौता खाने गया था नहीं बता सकता एवं यह भी स्वीकार किया है कि वह उपरोक्त बात पहली बार न्यायालय में बता रहा है।

20. सर्वप्रथम बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी रामप्रकाश अ0सा0 2 एवं आहत रामदत्त अ0सा0 1 आपस में पिता पुत्र हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी नाथूसिंह अ0सा0 3 बकील अ0सा0 4 एवं मुकट सिंह अ0सा0 6 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहत के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से समपुष्टि का जो नियम है, वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि फरियादी एवं आहत के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहे हैं तो मात्र इस आधार पर फरियादी एवं आहत के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उनके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रामप्रकाश अ0सा0 2 एवं रामदत्त अ0सा0 1 के कथन इतने विश्वसनीय हैं कि जिसके कारण आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि झगड़े के दौरान आरोपी दयानंद ने उसके सिर में फरसा मारा था एवं आरोपी परमानंद ने उसके सिर एवं बांये कंधे पर लाठी मारी थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि रामदत्त को धर्मेन्द्र ने लाठी मारी थी एवं बुद्धे ने रामदत्त के सिर में कुल्हाड़ी मारी थी। इस प्रकार फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 ने अपने कथन में आरोपी दयानंद एवं परमानंद द्वारा उसकी मारपीट करना एवं आरोपी बुद्धे तथा धर्मेन्द्र द्वारा रामदत्त की मारपीट करना बताया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि घटना के समय वह अपने दरवाजे के सामने गली में बैठा था तथा यह भी बताया है कि जिस समय परमानंद और दयानंद ने उसे लाठी मारी थी उस समय धर्मेन्द्र और बुद्धे भी द्वार पर आ गए थे। फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि घटना के समय वह अपने दरवाजे के सामने गली में बैठा था, चबूतरे पर नहीं बैठा था जब कि आहत रामदत्त अ0सा01 द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया गया है कि उसके पिता घर के दरवाजे पर स्थित चबूतरे पर बैठे थे इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 एवं आहत रामदत्त अ0सा01 के कथन परस्पर किंचित विरोधाभासी रहे हैं परंतु उक्त विरोधाभास में इतना तात्विक नहीं है जिससे अभियोजन घटना पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

22. फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि रामदत्त उसके पास धर्मेन्द्र एवं बुद्धे के आने से पहले ही आ गया था। रामदत्त ने उसे पीछे की ओर खींच लिया था जिस समय दयानंद और परमानंद ने उसे लाठी मारी थी उस समय रामदत्त आ नहीं पाया था। इस प्रकार फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 द्वारा यह बताया गया है कि जिस समय दयानंद और परमानंद ने उसे लाठी मारी थी उस समय रामदत्त आ नहीं पाया था परंतु

इससे यह अर्थ नहीं निकलाता है कि रामदत्त मौके पर मौजूद नहीं था। फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में यह भी बताया है कि रामदत्त ने लाठी एवं फरसे को पकड़ने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि रामदत्त उसे खींचने में लगा था। फरियादी रामप्रकाश के उक्त कथन से यही निष्कर्ष निकलता है कि रामदत्त अ0सा01 मौके पर मौजूद था, उसने रामप्रकाश की मारपीट होते हुए देखी थी।

23. जहां तक आहत रामदत्त अ0सा01 के कथन का प्रश्न है तो रामदत्त अ0सा01 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि दयानंद ने उसके पिता रामप्रकाश के सिर में फरसा मारा था एवं परमानंद ने उसके पिता के लाठी मारी थी वह भागकर अपने पिता को बचाने गया था तो धर्मेन्द्र ने उसके लाठी मारी थी जो उसके दाहिने पैर के घुटने में लगी थी एवं बुद्धे उर्फ देवेन्द्र ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी थी जिससे उसके सिर से खून निकल आया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह जैसे ही दरवाजे पर आया था दयानंद ने उसके पिता को फरसा मारा था वह फरसा मैंने देखा था। इस प्रकार आहत रामदत्त अ0सा01 ने भी आरोपीण द्वारा उसकी एवं उसके पिता रामप्रकाश की लाठी, फरसे, कुल्हाड़ी से मारपीट करना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा अत्यंत विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी के कथनों में ऐसी कोई विसंगति नहीं आई है जिससे उक्त साक्षी के कथनों का खंडन होता हो।

24. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 ने दयानंद द्वारा उसकी फरसे से मारपीट करना बताया है जबकि प्र0पी02 के अदम चैक में दयानंद द्वारा फरसालाठी से मारपीट किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 के कथन प्र0पी02 के अदम चैक से विरोधाभासी रहे हैं यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त संबंध में विवेचक ए एस आई जहार से अ0सा08 से भी प्रतिपरीक्षण किया गया है एवं ए एस आई जहार सिंह अ0सा08 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि फरसा एवं लाठी अलग-अलग तरह के हथियार होते हैं लेकिन जब लाठी में फरसा लग जाता है तो उसे फरसालाठी बोल देते हैं। इस प्रकार जहार सिंह अ0सा08 द्वारा स्वयं यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब लाठी में फरसा लग जाता है तो उसे फरसालाठी बोलते हैं। प्र0पी02 की अदम चैक में भी आरोपी दयानंद द्वारा फरसालाठी से मारपीट किये जाने का उल्लेख है एवं फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में भी आरोपी दयानंद द्वारा उसके सिर में फरसा मारना बताया है। प्र0पी05 चिकित्सकीय रिपोर्ट में फरियादी रामप्रकाश के सिर के दाहिने एवं बांये तरफ कटा हुआ घाव होना वर्णित है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर फरियादी के कथनों में कोई विसंगति दर्शित नहीं होती है एवं उक्त तर्क से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

25. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है एवं फरियादीगण द्वारा रंजिश आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि आरोपीगण एवं फरियादीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी

तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है यदि रंजिश के कारण फरियादीगण द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादीगण की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

26. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि घटना के समय आरोपी बुद्धे मजदूर लेने गांव में गया था एवं परमानंद रामेश्वर जाटव के साथ खाना खाने गया था तथा दयानंद राकेश मुदगल के साथ गेहूं काट रहा था। आरोपी परमानंद वा0सा01 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि जब रिपोर्ट हुई थी तब वह रामेश्वर जाटव के यहां न्यूता खाने गया था एवं उसका भाई दयानंद राकेश के खेत में गेहूं कटवा रहा था तथा बुद्धे मजदूर तलाशने गांव में गया था।

27. इस प्रकार आरोपीगण द्वारा घटना के समय अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक लिया गया है परंतु आरोपीगण की ओर से उक्त संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपी परमानंद वा0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह घटना के समय रामेश्वर जाटव के साथ न्यूता खाने गया था परंतु उक्त संबंधमें उसके द्वारा रामेश्वर जाटव को परीक्षित नहीं कराया गया है उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि दयानंद राकेश के खेत में गेहूं कटवा रहा था परंतु आरोपीगण की ओर से उक्त संबंध में राकेश को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। आरोपीगण द्वारा लिए गए बचाव के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपीगण घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे एवं उक्त बचाव से भी आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

28. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 ने आरोपी दयानंद द्वारा उसकी फरसे से एवं परमानंद द्वारा उसकी लाठी से मारपीट करना बताया है एवं आरोपी धर्मेन्द्र द्वारा रामदत्त की लाठी से तथा बुद्धे द्वारा आहत रामदत्त की कुल्हाड़ी से मारपीट करना बताया है। आहत रामदत्त अ0सा01 द्वारा भी फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 के कथन का समर्थन किया गया है एवं आरोपीगणद्वारा फरसा, लाठी, कुल्हाड़ी से उसकी एवं उसके पिता रामप्रकाश की मारपीट किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोंडकर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी रामप्रकाश द्वारा घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने पर दी गई है। फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 के कथन तात्विक बिंदुओं पर प्र0पी02 अदम चैक एवं प्र0पी03 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहे हैं। चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त के शरीर के उन्हीं भागों पर चोटें होना वर्णित है जिन भागों पर मारपीट के दौरान चोटें आना फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त द्वारा बताया गया है इस प्रकार फरियादी रामप्रकाश अ0सा02 एवं आहत रामदत्त अ0सा01 के कथन चिकित्सकीय रिपोर्ट से भी पुष्ट रहे हैं एवं जहां फरियादी एवं आहत के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहां उनके कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

29. फलतः समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल

रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को फरियादी रामप्रकाश की आक्रामक धारदार आयुध फरसे से एवं आहत रामदत्त की आक्रामक धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की।

30. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण के मध्य फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित था? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के मध्य सामान्य आशय था अथवा नहीं इसका निर्धारण आरोपीगण के कृत्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों से ही हो सकता है उक्त संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य आना संभव नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रामप्रकाश अ0सा01 एवं आहत रामदत्त अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि घटना के समय सभी आरोपीगण दयानंद, परमानंद, धर्मेन्द्र एवं बुद्धे उर्फ देवेन्द्र मौके पर उपस्थित थे एवं उनके द्वारा मारपीट में भी भाग लिया जा रहा था एवं जहां सभी आरोपीगण फरियादी एवं आहत की मारपीट की जा रही हो वहां आरोपीगण के कृत्य से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण के मध्य फरियादी एवं आहत की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित था एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में ही आरोपीगण द्वारा फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त की आक्रामक धारदार आयुध फरसा एवं कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की गई थी।

31. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। उक्त संबंध में ये उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य फसल काटने के उपर विवाद हुआ था एवं उसी विवाद के दौरान आरोपीगण द्वारा फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त की आक्रामक धारदार आयुध फरसा एवं कुल्हाड़ी से मारपीट की गयी थी। मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस आयुध से फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त की मारपीट की जा रही है उससे फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त को उपहति कारित होना सम्भावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त को उपहति कारित की गयी थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

32. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 20.04.2011 को शाम साढ़े सात बजे फरियादी रामप्रकाश के घर के सामने ग्राम कतरौल में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त की आक्रामक धारदार आयुध फरसा एवं कुल्हाड़ी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी धर्मेन्द्र को भा.दं.सं. की धारा 324/34 (2शीर्ष) एवं आरोपी दयानंद, परमानंद तथा बुद्धे उर्फ देवेन्द्र को भा0दं0सं0 की धारा 324, 324/34 के आरोप में दोषी पाती है।

33. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी धर्मेन्द्र, दयानंद, परमानंद एवं बुद्धे उर्फ देवेन्द्र को भा0दं0सं0 की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपी धर्मेन्द्र को भा0दं0सं0 की धारा 324/34 (2शीर्ष) एवं आरोपी दयानंद, परमानंद तथा बुद्धे उर्फ देवेन्द्र को भा0दं0सं0

की धारा 324, 324/34 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

34. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

35. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

36. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी रामप्रकाश एवं आहत रामदत्त की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की गयी है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी धर्मेन्द्र को भा0दं0 सं0 की धारा 324/34 (2 शीर्ष) एवं एवं आरोपी दयानंद, परमानंद तथा बुद्धे उर्फ देवेन्द्र को भा0दं0 सं0 की धारा 324, 324/34 के अंतर्गत निम्नानुसार दण्ड से दंडित करती है।

सं0 क्र0	आरोपी का नाम	धारा भा0दं0 सं0	कारावास सश्रम	अर्थदण्ड राशि रू0	व्यक्तिकम सश्रम
1.	परमानंद	324	छः माह	500/- (पांच सौ)	पंद्रह दिवस
		324/34	छः माह	500/- (पांच सौ)	पंद्रह दिवस
2.	दयानंद	324	छः माह	500/- (पांच सौ)	पंद्रह दिवस
		324/34	छः माह	500/- (पांच सौ)	पंद्रह दिवस
3	बुद्धे उर्फ देवेन्द्र	324	छः माह	500/- (पांच सौ)	पंद्रह दिवस
		324/34	छः माह	500/- (पांच सौ)	पंद्रह दिवस

4	धर्मेन्द्र	324/34 शीर्ष)	(2	छः माह (प्रत्येक शीर्ष)	500/— (पांच सौ) (प्रत्येक शीर्ष)	पंद्रह दिवस (प्रत्येक शीर्षमें)
---	------------	------------------	----	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

37. कारावास की सभी सजायें एक साथ चलेंगी।

38. आरोपीगण द्वारा अर्थदंड की राशि अदा किये जाने पर द0प्र0स0 की धारा 357(3) के अंतर्गत फरियादी रामप्रकाश को 1000/—रुपये एवं आहत रामदत्त को 1000/—रुपये प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

39. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

40. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

41. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे हैं।

तदनुसार आरोपीगण के सजा वारंट तैयार किए जावे।

स्थान — गोहद

दिनांक — 11-05-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)